

ESIC - Total Social Security For Workers &
"Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna"
To Provide
Monthly Unemployment Allowance



क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Phone : 2225-9236
Fax : 2225-9236
e-mail : esical@wb.nic.in
Website : www.esicindia.org

सी/C-11

20 SEP 2007

संख्या/No. NF/41-35504-90/24.11

दिनांक/Dated : _____

सेवा में/To,

मैसर्स/M/s T. S. R. Enterprises,
Miverva Garden Complex,
D. H. Rd, Tola, Moh-104

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन और (यथा-संशोधित) अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) के अधीन कारखानों तथा स्थापनाओं के कर्मचारियों का पंजीकरण।

Subject : Implementation of the E.S.I. act, 1948 and Registration of Employees of the Factories and Establishments under Section 2(12)/1(5) of the Act as amended.

महोदय/ Dear Sir/s,

- आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या दिनांक द्वारा क्षेत्र में सभी कारखानों/स्थापनाओं को अधिनियम के अधीन व्याप्त करने हेतु अधिनियम के उपबंध बनाए हैं।
It is informed that under Section 1(3) of the E.S.I. Act, 1948 the Central Government has vide notification No. 14/08/53/35-121(13) dated 18/8/53 made the provisions of the Act applicable to all factories/establishments covered under the Act within the (Area) Kolkata.
- यह भी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधिनियम की धारा 1(5) के अधीन अधिसूचना संख्या दिनांक द्वारा तारीख से अन्य स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबंधों/धाराओं का विस्तार कर दिया है।
It is further informed that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other establishment under Section 1(5) of the Act with effect from (vide notification No. dated).
- अधिनियम की धारा 2क के अधीन ऐसे कारखाने/स्थापन को अधिनियम के अधीन पंजीकृत करना अनिवार्य है तथा अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराएं तथा अधिनियम के अधीन व्याप्त सभी कर्मचारियों के अंशदान की अदायगी करें।
Under Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and chapter IV thereof casts a responsibility on the principal employer thereof to insure his employees and pay contributions in respect of these employees covered under the Act.
- आपके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने/स्थापन के विवरण के अनुसार दिनांक की बीमा निरीक्षक/शाखा कार्यालय प्रबन्धक द्वारा आपके कारखाने/स्थापन की निरीक्षण संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपका कारखाना/स्थापन दिनांक में अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) की सीमा में आता है। फिर भी यदि, बाद में जाँच करने पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना/स्थापन उल्लिखित तारीख से पहले व्यक्ति योग्य था तो उस पिछली तारीख से अधिनियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
On the basis of the particulars in respect of your factory/establishment submitted by you, the report of the inspection conducted by the Insurance Inspector/Branch Office Manager who inspected your factory/establishment on 03-9-2007 your factory/establishment falls within the purview of Section 2(12)/1(5) of the Act with effect from 01-7-2007 (P). In case, however, subsequent facts reveal that your factory/establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provision of the Act from such earlier date.
- आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की तारीख से आप अपने कारखाने/स्थापन के कर्मचारियों के घोषणा-पत्र भरने तथा उनके पंजीकरण और अंशदान की अदायगी व रिकार्ड के अनुरक्षण संबंधी कार्यवाई तुरन्त करें तथा रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करें।
It is requested to take immediate steps for registration of your employees by submitting Declaration forms, payment of contribution, maintenance of record etc., from the date of coverage of your factory/establishment under the Act.
- आपकी सुविधा के लिए कारखाने/स्थापन को कूट संख्या आवंटित की गई है जिसका इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय प्रयोग किया जाए तथा उक्त संख्या सभी फार्मों में यथास्थान दर्शायी जाए।

7. Behala

For the sake of convenience your establishment has been allotted code No. 41-35904-90 which may kindly be used in all communications sent to this office and on all forms at the place indicated for the purpose. The Branch Office of the Corporation situated at ESI Hospital ROPC, D. H. Road, Tola, 24/2/90 (S.I.) has been instructed to render necessary assistance to you in connection with registration of your employees. In case you find any difficulty or for any other purpose which may be necessary in connection with the Scheme you are requested to contact the Manager of the above Branch Office who will render necessary help in the matter.

7. अनुमोदित कि दीना चिकित्सा व्यवसायियों/राज्य बीमा औद्योगिकों की सूचियों का अपने कारखानों/स्थापन में भरसक प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औद्योगिकों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों का चयन कर सकें। अपेक्षित पार्म आदि उपरिलिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें जिसके साथ आपके सभी कर्मचारी भी सम्बद्ध होंगे।

It is requested that publicity may kindly be given to list of Insurance medical practitioners, State Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their State Insurance Dispensaries/Insurance Medical Practitioner. Required forms etc. may please be collected from the Branch Office mentioned above to which all your employees will also be attached.

8. निगम के कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन आपके अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव एवं आवश्यक सहायता सहर्ष प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा विनियम के उपबंधों का समय से अनुपालन करेंगे।

The Corporation Officials would be pleased to give all necessary and possible guidance to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948, and I am confident of prompt and early compliance under the provisions of the ESI Act and Regulation on your part.

9. कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंक शाखाओं की एक सूची संलग्न है। आप अपनी सुविधानुसार इन शाखाओं में से कोई एक शाखा चुनने की कृपा करें और इसकी सूचना इस कार्यालय को तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें तथा केवल उक्त शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि जमा करावें। यदि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आपसे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस अधिकृत शाखा विशेष में आपने अंशदान की राशि जमा कराई होगी उसे आपके कारखाने/स्थापन के लिए "नामित शाखा" मान लिया जाएगा।

A list of Bank Branches who are authorised to accept ESI contributions is enclosed. You may choose one of the Branches convenient to you, under intimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and deposit the ESI dues in that branch only. In case no intimation is received within 15 days of the receipt of this letter the amount of contribution deposited in one of the specified branch would be considered as "Nominated Branch" for your factory establishment.

10. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध हितात्मक निषेधक आदि के उत्तरदायित्वों की विवरणिका/ईशतहार इसके साथ इस निवेदन के साथ संलग्न है कि योजना के बेहतर कार्यचालन के लिए इसका व्यापक प्रचार करें।

A brochure/leaflet containing benefits available under the scheme and obligation of the employer etc. is enclosed herewith with request to give wide publicity towards smooth functioning of the scheme.

11. कृपया विलंब से बचने के लिए, सभी पत्राचार में, अपनी कूट संख्या का उल्लेख करें।

Please indicate your Code No. on all correspondences to avoid delay.

Doc:-

B.O.M.

भवदीय/Yours faithfully,

(S. Faneja)

उप निदेशक/DY. DIRECTOR

अनुलग्नक/Encl : As stated above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कारेवाई हेतु प्रेषित:

Copy for information and necessary action to :

1. प्रबंधक, शाखा कार्यालय Behala
The Manager, Branch Office
2. 103 क शाखा
103 A Branch via ROP
3. बीमा निरीक्षक Behala
The Insurance Inspector प्रमाण Division
प्रधान नियोजक का नाम
Name of the Principal Employer
कर्मचारियों की संख्या
No. of Employees - 10
कारखाना लाइसेंस संख्या, यदि कोई हो
Factory Licence No. if any
4. उप निदेशक (वित्त)
The Dy. Director (Finance)
5. सी-6 शाखा
C-6 Branch
R.P.F.C.

Doctor's list available with the B.O.M.

(S. Faneja)
उप निदेशक/DY. DIRECTOR

कृपया सनिश्चित करें : पूर्ण सामाजिक सुरक्षा के लिए सभी कामगारों को क.स.सी. में बीमांकित कराएं।